ISSN: 2583-1453 SANCHAR SAROKAR July-September, 2021

www.sancharsarokar.in संचार सरोकार Vol.1, Issue 1

Page Nos. 1-11

Quarterly Peer Reviewed Bilingual Multidisciplinary Research e-Journal

डॉ. बी. आर. अंबेडकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा

सुमन*

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विभाग, भारती कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

शोध सार

राष्ट्र निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विकास नीतियों और योजनाओं के निर्माण में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी रही । एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने देश के चहुमुखी विकास के लिए भूमि सुधार और औद्योगिकीकरण की मांग की । उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और बैंकिंग बीमा आदि पर उनका सुझाव एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिखाता है। उन्होंने ने जिस तरह से राष्ट्र विकास और सम्पूर्ण राष्ट्र के एकीकरण के लिए समानता के सिद्धांत को महत्व दिया, वह उन्हें एक राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रवादी के रूप में प्रदर्शित करता है। डॉ. आंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें सभी नागरिक "पहले भी भारतीय और बाद में भी भारतीय ही हों"। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के स्थायी विकास के लिए विभिन्न नीतियों का अनुग्रह किया। अपनी दूरदर्शिता के आधार पर वह भारतीय समस्याओं का सही समाधान सुझाने में सफल रहे और भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र-राज्य बनने में सही दिशा दिखायी। इस शोध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अम्बेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। शोध का मुख्य विषय "डॉ. भीमराव अंबेडकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा है", जिसमें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय राज्यों के विकास के सभी आधारों का अध्ययन किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में सार्वभौमिक रूप से कोई भी स्पष्ट परिभाषा स्वीकार नहीं की गई है। परन्तु फिर भी परिभाषाओं के आधार पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के पारंपरिक-यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार "एक राज्य की सैन्य खतरों से सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, एकता और संप्रभुता आदि राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है।", (कोइतहारा, 1999) "**बुज़ान के अनुसार** "सुरक्षा का मुख्यलक्ष्य खतरों से स्वतंत्रता है। "शीत युद्ध के अंत के बाद से कई विद्वानों ने सुरक्षा को अनिवार्य अवधारणा के रूप में देखा। (बाल्डविन,1997) कई लोगों ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए सुरक्षा की रूढ़िवादी अवधारणा की आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र-

राज्य, सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, उनकी प्रेरणा आदर्श या नैतिकता कि खोज की बजाय सैन्य और आर्थिक शक्ति का विनियोग है। इस प्रकार, नीतियों का उद्देश्य व्यक्तियों या मानव जाति के हितों के बजाय, राष्ट्र राज्य के मूल्यों और संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। (हौग, 2004) परन्तु बाद में इस अवधारणा ने समय और परिस्थितियों के अनुकूल गैर-सैन्य सुरक्षा के अन्य रूपों को अपने में शामिल किया, जैसे - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, पर्यावरण सुरक्षा, अवैध प्रवासन, ऊर्जा सुरक्षा, मानव सुरक्षा आदि।

21 वीं सदी में विश्व, सुरक्षा की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज विश्व आतंकवाद, सांप्रदायिकता, संकीर्णता, अल्पसंख्यकों के बीच अशांति, गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी आदि जैसी बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से ग्रसित है, जो राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा एक विकासशील देश होने के कारण इन सभी समस्याओं का प्रभाव भारतीय सामाजिक जीवन पर ओर अधिक गहरा रहा है। हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन दुर्भाग्य से कई विभाजनकारी शक्तियों और आंतरिक संघर्षों का शिकार हो गया है। भारतीय राज्य में विद्यमान विभाजन और संघर्षो को सुलझाने के लिए बिना किसी जाति, पंथ, धर्म और जन्म स्थान पर विचार किये, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना होगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए यहां डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का अध्ययनन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आवश्यक हो जाता है। अपने विचारों और नीतियों के आधार पर उन्होंने समाज में विद्यमान असमानता को हटाने, स्वतंत्रता को व्यावहारिक आकार देने, समाज में समानता लाने का ईमानदारी से प्रयास किया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा

डॉ. भीमराव अंबेडकर व्यापक रूप से आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास के कठिनाईयों से भरे दौर में सामाजिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र व्यवहार को निर्णायक रूप देने में डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि भारतीय समाज की विकास नीतियों में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना की सामाजिक मुद्दों पर। 1942-46 के दौरान एक कैबिनेट सदस्य के रूप में, उन्होंने भारत के जल और विद्युत नीति की नींव बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल और बिजली शक्ति विकास के लिए उन्होंने अनेक नीतियों और योजनाओं को निश्चित आकार और गति प्रदान की। (थोराट सुखदेव, 1993: प. 148) डॉ. अम्बेडकर के विचार यह इंगित करते हैं कि उनकी नीतियां और विचार किस प्रकार राष्ट्रीय एकता, एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं।

वैश्विककरण के युग में भारत ने सामाजिक विकास की जिम्मेदारी से अपना मुँह मोड़ लिया है। अगर यह समस्या लगातार बनी रही तो यह भारतीय समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकती है,

और इसका असर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी होगा। आज हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते में आने वाली गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है जैसे - सांप्रदायिकता, असमानता और विरोध जो राष्ट्र के विकास के मार्ग में बाधा हैं। (गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र, 1976) इन सभी समस्याओं के उपस्थित होने के साथ ही यहां डॉ. भीमराव अंबेडकर की नीतियों और विचारों की प्रासंगिकता ओर अधिक बढ़ जाती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं में मुख्यता आर्थिक समस्या सबसे गंभीर है। बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक तनाव, आय के उचित वितरण की कमी, श्रम अशांति, लिंग आधारित भेदभाव, भूमि सुधार क्षेत्र में विफलता, विदेशी मुद्रा संकट, बढ़ती जनसंख्या, नैतिक मूल्यों की कमी और राष्ट्रवाद आदि हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में चिंता का विषय हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की समाज और समाजवाद की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्गों का कल्याण और सामाजिक-आर्थिक असमानता का अंत, सभी के लाभ के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, पूर्ण रोजगार और शिक्षा को बनाए रखना रहा है। कमजोर और बीमार लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अंततः भारतीय समाज का पुनर्निर्माण कठोर सामाजिक विभाजन की बजाय सहयोग, प्रेम, मित्रता की नींव पर हो जिसका उन्होंने भरसक प्रयास किया है। (लाल श्याम और सक्सेना क. स. 1998: प. 25)

भारतीय राष्ट्रीय विकास को लेकर डॉ. अंबेडकर द्वारा सुझाये गये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:- राष्ट्र निर्माण के लिए नीतियां, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, रक्षा नीति तथा बाहरी सुरक्षा और विदेशी संबंध के लिए नीतियां आदि।

डॉ. भीमराव अंबेडकर और राष्ट्र निर्माण

किसी भी राष्ट्र के लिये राष्ट्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है यह राष्ट्रीय विकास के सभी आधारों, जैसे आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता का प्रसार, मास मीडिया का विकास, सामाजिक विकास और सैन्य क्षमता को अपने अंदर समेटे हुए है। राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने भूमि सुधार और औद्योगीकरण को राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक माना । डॉ. अंबेडकर के अनुसार एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को ज्यादा संघात्मक और सह व्यवस्थित होना चाहिए ताकि कम समय में एक मजबूत औद्योगिक आधार बनने में सक्षम हो सके। उनके अनुसार, निजी उद्यमशीलता को न तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए और न ही निचले दलित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के आधार पर । (कुमार, विवेक 2004)

राष्ट्र निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :-

जल संसाधन विकास :- केंद्र सरकार की स्थापना 1942 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर की गई थी। 1935 के अधिनियम के

अनुसार, जल और विधुत का मुद्दा प्रांतों और प्रिंसली राज्यों के अधीन था। (गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र, 1976) केंद्र सरकार की, प्रांत और प्रिंसली राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अपनी सीमा थी लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस नीति के पुनर्निर्माण का कदम उठाया, जिसे भारत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पेश किया गया। उन्होंने एक ऐसी नीति को स्वीकार करने की सलाह दी, जिसके द्वारा नदियों पर छोटे- छोटे तटबंध के निर्माण की बजाय नदी की पूरी घाटी विकसित की जानी चाहिए। भारत के आर्थिक विकास के लिए वह चाहते थे की प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग हो, ताकि भारत अधिक लाभ प्राप्त कर सके। (सेंट्रल वाटर कमीशन, 2016)

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने नदी घाटी बेसिन के आधार पर जल संसाधन विकास के लिए बहुउद्देशीय दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, और साथ ही नदी घाटी प्राधिकरण की अवधारणा का परिचय कराया जिसे संक्षेप में आज के दिनों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। पूरे नदी घाटी बेसिन के क्षेत्रीय विकास के लिए जल संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग उनकी नई जल नीति का प्रमुख तत्व था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्वास योजना की आवश्यकता पर बल दिया। इन समस्याओं पर विचार करते समय, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने प्रांतों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी याद दिलाई और आवश्यकता के समय कंधे से कन्धा मिला कर कार्य करने पर जोर दिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि यह तब संभव होगा जब प्रांत अपना पूर्ण सहयोग दे और प्रांतीय बाधाओं को खत्म करे। (सेंट्रल वाटर कमीशन, 2016)

दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो की 1944-46 के दौरान श्रम विभाग के अंतर्गत सक्रिय थीं, के आधार पर सोना नदी घाटी परियोजना, महानदी (हीराकुंड परियोजना) और कोसी तथा अन्य चंबल की नदियों और दक्कन की नदियों पर इन परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से और बहुउद्देशीय विकास के लिए स्वीकार किया गया, साथ ही बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, घरेलू जल आपूर्ति, पनबिजली और अन्य प्रयोजनों की तरफ ध्यान केंद्रित किया । दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना डॉ. भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता का बहुत बढ़ा उदाहरण है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों की रूप रेखा स्वतंत्र भारत के नये संविधान की तैयारी में दिखाई दी। स्वतंत्र भारत का नया संविधान डॉ अम्बेडकर कि जल संबंधी नीतियों के प्रभाव से लाभान्वित हुआ। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956, दोनों ही डॉ. भीमराव अंबेडकर के ऐसे दृष्टिकोण थे जो अंतरराज्यीय नदियों के मामलों से निपटने के लिए सहायक थी। प्रस्तावना के शब्दों में "**अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटी के जल से संबंधित विवादों के फैसले न्यायपूर्ण हो, नदी बोर्ड अधिनियम में प्रविष्टि 56 के संदर्भ में अंतर-राज्य नदियों की घाटी के विनियमन और विकास के लिए भी प्रावधान है"।** (सेंट्रल वाटर कमीशन 2016)

राष्ट्रवाद :- 'अछूतों का उद्धार और गांधी' नामक पुस्तक में डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्र बनाये जाने की अपनी बात स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि – "**राष्ट्र स्वयं कुछ नहीं होता उसे बनाया जाता है और में सोचता हूं की यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक समुदाय विशेष का दमन और पृथक्करण राष्ट्र - निर्माण का कोई तरीका नहीं है"।** डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए दो बाते कही - पहली यह कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में फर्क है। ये मानव मस्तिष्क की दो अलग - अलग अवस्थाएं हैं। राष्ट्रीयता का अर्थ एक तरह की संचेतना से है, जातीय बंधन के अस्तित्व के प्रति सजगता से है। "राष्ट्रवाद का अर्थ उन लोगों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा है, जो इस जातीय बंधन में बंधे है।" दूसरी यह की राष्ट्रीयता की भावना के बिना राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयता की भावना की मौजूदगी के बावजूद राष्ट्रवाद की सोच सर्वथा अनुपस्थित हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीयता से राष्ट्रवाद उजागर होने के लिए दो शर्तें आवश्यक है। प्रथम, एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा का जागृत होना। दूसरी, एक क्षेत्र का होना जिसे राष्ट्रवाद को स्वीकार कर एक राज्य तथा राष्ट्र का सांस्कृतिक घर बना सके।

राष्ट्रीयता के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा - **"मेरी राय है कि आज वक्त का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि जनता - जनार्दन के मन में एक साझी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए। यह भावना नहीं चलेगी की पहले वे भारतीय हैं और फिर हिन्दू, मुसलमान या सिंधी और कन्नड़ हैं, बल्कि यह कि वे पहले भारतीय हैं और अंतत: भारतीय ही हैं। यदि हमारा आदर्श यही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे स्थानीय देशभक्ति और वर्ग चेतना की भावना को कट्टरता का रूप मिले।** (ज्ञान एलोइशस 2013) "इसी में उन्होंने आगे कहा की देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, कन्नड़ या गुजराती संस्कृति हो। ये ऐसी चीजें है जिन्हे हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठां को डिगाती हैं और हमे अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी भावना को विकसित करना है की हम सब भारतीय हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की यह मान्यता थी कि जब तक सामाजिक एकजुटता नहीं बन जाती, तब तक राष्ट्रीयता की बात करना अव्यवहारिक ही होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने वालो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए की सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता प्राप्त करना कठिन है। राजनीतिक एकता होने से भारत एक रियासत तो बन जाएगा, परन्तु एक रियासत एक राष्ट्र नहीं होता और एक रियासत, जो एक राष्ट्र नहीं है, उसके आस्तित्व में बने रहने की बहुत कम संभावना होती है। एक मिश्रित और मिली - जुली रियासत को खतरा बाहरी हमले से इतना नहीं होता, जितना कि बिखरे हुए राष्ट्रों को दबाकर बनाई गई राष्ट्रीयता के उभरने से होता है। (ज्ञान एलोइशस 2013)

आर्थिक नीतियाँ :- स्वतंत्रता - प्राप्ति के छ दशकों के बाद भी हम गरीबी, बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, औद्योगीकरण की धीमी गति, राष्ट्रिय आय के

असमान वितरण, कृषि के क्षेत्र में कम उत्पादकता आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत की अर्थ व्यवस्था का आधार आज भी गाँवों में ही पाया जाता है, जहां भूमि का असमान वितरण, अर्ध-सामंतवादी उत्पादन संबंध, हरित क्रांति के विस्तार पर प्रतिबंध, कृषि तथा उद्योगों का अनुचित संयोजन, परोक्ष बेरोजगारी आदि देखने को मिलती है। उद्योगों के विकास पर राजकोषीय एवं मुद्रा व्यवस्थाओं के प्रभाव और कीमतों की स्थिरता एवं बाह्य ऋण आदि के बारे में डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज के समय में ओर अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं । डॉ. भीमराव अंबेडकर की किताब, **रूपये की समस्या मूल कारण एवं समाधान**, को एक सैद्धांतिक विषय पर लिखा गया विवादास्पद लेख माना गया है। उन्होंने चाहा था कि सोने को मूल्य के मानक के रूप में लिया जाए और मुद्रा में लचीलापन इसी से प्रेरित हो । (पी. अब्रहाम 2013)

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्वर्ण मुद्रा युक्त सोने के मानक की खूब तरफदारी की। स्वर्ण विनिमय मानक की उन्होंने कड़ी आलोचना की। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने यह तर्क प्रस्तुत किया की इस व्यवस्था से सरकार के हाथ में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने का व्यापक अधिकार मिल जायेगा । मुद्रा के मूल्य की आंतरिक स्थिरता की अपेक्षा विनिमय की बाह्य स्थिरता को अत्यधिक महत्व देने की बात भारत के लिए उचित नीति नहीं होगी। डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह तर्क बड़ा प्रभावशाली था कि विनिमय की दर कम रखने से अधिक निर्यात संभव हो सकता है, जिससे देश में बनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएँगी। इससे व्यापारी वर्ग को भले ही लाभ न मिले, परन्तु गरीबों का नुकसान नहीं होगा। डॉ भीमराव अंबेडकर ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कहां की **"जो लोग पैसे खर्च करते हैं, वे उस समय यह नहीं सोचते की उन पैसों की कीमत सोने के हिसाब से कितनी होगी। वे तो यही सोचते हैं की उन पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीजों की कीमत क्या होगी इसलिए उन्हें इस बात की चिंता रहती है की वे जिन जरूरत की चीजों को खरीद रहे हैं उनकी कीमत क्या है।"** (पी. अब्रहाम 2013)

रूढ़िवादी एवं स्वचल मुद्रा प्रबंध द्वारा कीमतों में स्थिरता लाना ही डॉ. भीमराव अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य था। आज के युग की कीमतें बहुत बढ़ गयी है। हम देखते हैं कि मुद्रा तो अत्यधिक मात्रा में जारी हुई, पर देश के अंदर खरीदने की शक्ति में गिरावट आ गई। यही नहीं, देश के बहार भी रूपये की कीमत में गिरावट आ गई। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ऐसी ही परिस्थित का अनुमान लगाया था। अपने समय में उन्होंने यही सलहा दी थी कि मुद्रा के वितरण पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये। आज बिल्कुल वैसे ही नियंत्रण की आवश्यकता है। (पी. अब्रहाम 2013)

महिला सशक्तिकरण :- मानव सभ्यता के इतिहास में नारी अस्मिता, उसके समान अधिकार और स्वतंत्रता का प्रशन सदा से ही उलझन पूर्ण रहा है। महिलाओं को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं बनी उनमें उसे प्राय: दूसरे दर्जे का स्थान ही दिया गया है। महिलाएं दलितों में भी दलित मानी गई हैं। इसके लिये हमारी सामाजिक व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की सोच पूर्णत: उत्तरदायी है। हिन्दू समाज में अछूत के साथ अत्याचार इस कारण होता था की वह निम्न वर्ग के हैं, परन्तु भारतीय नारी के

साथ हर वर्ग, हर वर्ण में होने वाले अत्याचार को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुभव किया था। मनुस्मृति अछूतों तथा स्त्रियों दोनों के प्रति समान तिरस्कार को प्रदर्शित करती है। मनु ने स्त्री को गुलाम की श्रेणी में रखा जिनमें बौद्धिक क्षमता नहीं होती। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से मनुस्मृति की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। मनु ने शूद्रों तथा स्त्रियों को जिन मानवीय अधिकारों से वंचित किया था, उन अधिकारों को भारतीय संविधान के माध्यम से न केवल पुन: लागू किया वरन उन्हें समानता के स्तर तक पहुंचाने के लिए आरक्षण - संरक्षण की सीढ़िया भी प्रदान की। (डॉ. तारा परमार, 36)

डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और उस संविधान के माध्यम से देश के हर वर्ग, नारी, श्रमिक, किसान आदि को कल्याणकारी सुरक्षा विधिवत रूप से प्रदान की, फिर भी डॉ. भीमराव अंबेडकर को मात्र दलितों का मसीहा बता कर राष्ट्रीय विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सीमित कर दिया गया। भारतीय शिक्षित महिलाएं अपने उद्धारक डॉ. भीमराव अंबेडकर की महानता से परिचित नहीं हैं। नारी स्वतंत्रता एवं समानता को विधिवत रूप से भारत में स्थापित करने का श्रेय डॉ. भीमराव अंबेडकरको ही जाता है। (कुसुम मेघवाल, 41-42)

जनतंत्र :- विभिन्न दार्शनिकों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और लेखकों ने लोकतंत्र की कई परिभाषाएं दी हैं। मानवाधिकारों के महान सिद्धांत कारक और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि, "**लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है**।" डॉ. भीमराव अंबेडकर का विश्वास था कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में लोगों का बिना खून बहाये क्रांतिकारी परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही लाया जा सकता है। उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों का सुझाव दिया:" (i) संवैधानिकता (ii) समान स्वतंत्रता और (iii) एक राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना। (जेना, मानस 2014) "डॉ. भीमराव अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना सफल नहीं हो सकता। उनका मानना था कि "लोकतंत्र को न तो गणतंत्र और न ही संसदीय सरकारों के समान माना जा सकता है। लोकतंत्र की जड़ें सरकार के संसदीय रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों में खोजी जानी चाहिए। (चाँद,2007)

जाति, धर्म, और जातीयता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की उभरती हुई पहचान को समानता और जीवंत लोकतंत्र की आवश्यकता है, नई सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों के सन्दर्भ में जैसे - सामाजिक समावेश, प्रशासन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और विश्व स्तर पर भारत का आर्थिक विकास आदि में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस प्रकार लोकतंत्र की आत्मा एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत है उसी प्रकार लोकतंत्र केवल

सरकार का एक रूप ही नहीं है बल्कि यह पुरुषों और महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का एक व्यवहारिक तरिका भी है। (द पायनियर, 2014)

डॉ. भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रीय एकीकरण: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की नीतियों का सुझाव दिया। उन्हें यह अच्छी तरह से ज्ञात था की इस तरह की विशाल और विविध जनसंख्या को कैसे एकीकृत किया जाए। उन्होंने प्रशासन के लिए छोटे राज्यों का सुझाव दिया और कहा की प्रत्येक प्रांत की आधिकारिक भाषा केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के समान होनी चाहिए। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भाषाई राज्यों के गठन पर बयान दिया जो राज्यों के पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की आलोचना के रूप में आया। उनके अनुसार, यह केवल दो राज्यों के बीच असमानता नहीं है बल्कि यह इससे भी बड़ा रूप ले सकती है यह दक्षिण बनाम उत्तरी हिंदी भाषी राज्यों के सामने नई राजनीतिक समस्या पैदा कर सकती है। (नायक, 2003) दोनों क्षेत्रों के बीच विशाल सांस्कृतिक अंतर स्वीकारते हुए और दक्षिण भारत के नेताओं द्वारा उत्तर भारत के प्रभुत्व की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत की एकता और सुरक्षा के लिए खतरे की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि आयोग को एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत और एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उनकी सुझाई गई नीतियों को नहीं अपनाया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की नीतियां अपने क्षेत्र विकास के स्थान पर केन्द्रीय विधान सभा में राज्य के बराबर प्रतिनिधित्व पर आधारित थी। उनकी इस नीति के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्क के अत्याचारों का खतरा कम हो जायेगा और छोटे राज्यों को बहुमत भी आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसी आधार पर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप की व्याख्या की। उनके अनुसार संघवाद का अर्थ था कि राज्य शांति के समय एक संघ, लेकिन आपातकाल के समय एकात्मक होगा। उन्होंने टिप्पणी की कि संविधान केन्द्र और राज्यों की परिधि में संघ के साथ एक दोहरी नीति स्थापित करता है। प्रत्येक संप्रभु शक्तियों को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्रों में अपने कार्यों को संपन्न करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। (नायक, 2003)

केंद्र में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव द्वारा राजनीतिक दल राज्य सरकारों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों का अपना राजनीतिक हित होता है। 1950 से 2002 तककरीब 100 बार केंद्र सरकार ने राजनीतिक हित के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। कुछ हद तक अनुच्छेद 356 के उपयोग के लिए ऐसी स्थिति थी, लेकिन जब हम राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ विशेष राज्य में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल एक राजनीतिक हित था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को **"एकमृतपत्र"** कहा, डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 356 क्षेत्रीय एकीकरण और भारत की एकता के लिए एक प्रावधान है, परन्तु जब आपातकालीन स्थिति हो तो राष्ट्रपति अधिनियम और अनुच्छेद 356 का

उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। (नायक, 2003)

डॉ. भीमराव अंबेडकर बहुभाषी राज्यों के विपरीत एक भाषी राज्यों के गठन के पक्ष में थे जो एक स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य की नींव है जबकि इसके आलावा अलग-अलग भाषाई राज्य होने से नेतृत्व और प्रशासनिक कारकों में भेदभाव की वजह से राज्य आपस में लड़ सकते हैं जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनका समर्थन इस शर्त पर था कि राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और जब तक भारत इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो जाता, अंग्रेजी को जारी रखा जाये। (नायक, 2003) डॉ. भीमराव अंबेडकर के भाषाई राज्यों पर विचार से निश्चित रूप से हमें विभिन्न राज्यों और दक्षिण के नेताओं के बीच बढ़ते क्षेत्रीय आकांक्षा के पीछे के कारण को समझने में मदद मिलती है। उनके अनुसार आयोग का पुनर्गठन हिंदी भाषी राज्यों और दक्षिण के राज्यों के बीच नई राजनीतिक समस्या पैदा करेगा। केंद्र सरकार पर क्षेत्रीय दलों कि निर्भरता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन साथ ही विकास के लिए समस्या पैदा कर सकता है। औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में असमानता के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में भी क्षेत्रीय विकास की भावना आई है। उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, राज्यों में आर्थिक और प्रौद्योगिकी की असमानता, भाषा मतभेद, उत्तरी बनाम दक्षिण आदि इन विवादों से निपटने के लिए डॉ अंबेडकर द्वारा सुझाई नीतियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने एक मजबूत केंद्र और स्वायत्त राज्य के रूप में एकता और राष्ट्र की सुरक्षा का सुझाव दिया, उनकी नीतियां हमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की समकालीन समस्याओं से निपटने और क्षेत्रीय एकीकरण का मार्ग दर्शन करने में मददगार रही।

निष्कर्ष :

पिछले 10 दशकों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में बड़ी ही तेज गाती से अपना विकास किया है। परन्तु भारत का सामाजिक और राजनीतिक विकास का प्रतिशत उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। भारतीय नीति निर्माताओं ने अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा के गैर सैन्य आयामों पर केंद्रित किया है। अल्पविकास, जनसंख्या दबाव, और अनियंत्रित शहरीकरण, सीमित प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण में गिरावट आदि समस्याओं से निपटना भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य मुद्दा रहा है। अगर हम समग्र दृष्टिकोण से देखे तो, यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति से कहीं ज्यादा जरुरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने मुख्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक और वैज्ञानिक संसाधनों के एकीकृत नियोजन और समन्वयी उपयोग की आवश्यकता है। तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में मानव संसाधन विकास राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत तब तक अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम एक सुसंगत राष्ट्रीय दृष्टि से एकीकृत नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है की राष्ट्र अपनी सैन्य और गैर-सैन्य शक्ति को मजबूत करे। हालांकि, पिछले 74 वर्षों से देश में काफी वैज्ञानिक और आर्थिक विकास के बाद स्थिति अब बदल गई है, डॉ. भीमराव अंबेडकर

द्वारा सुझाई गई कुछ नीतियों को सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वित किया गया है।

प्रॉब्लम ऑफ रूपी में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने रूपये की जिस समस्या का वर्णन किया था उसे वर्तमान सरकार ने अपनाया और 6 नवंबर 2016 को नोट बंदी का एलान किया ताकि रूपये से संबधित भ्रष्टाचार को रोका जा सके। नदियों के पानी के केन्द्रीकरण की बात डॉ. भीमराव अंबेडकरने बहुत पहले ही कर दी थी, जिस पर आज वर्तमान सरकार विचार कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं की आज डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार और नीतियां भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश के विकास के लिए जिन नीतियों का सुझाव दिया वे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं किन्तु भारत जैसे अन्य विकासशील देशों - पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, और नेपाल जैसे देशों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भारत और भारत के पड़ोसी राज्य वर्तमान समय में समान समस्याओं अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या दबाव, असमानता, महिलाओं पर अत्याचार, वैश्वीकरण, बढ़ता भृष्टाचार, आतंकवाद आदि का सामना कर रहे हैं, और इन समस्याओं से निपटने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर की नीतियाँ कारगर साबित हो सकती हैं।

References:

1. Akbar M. K., “Kargil cross Border terrorism”, Mittal Publication, New Delhi, 1999.
2. Baldwin, A. David (1997), “The concept of security”, *Review of International Studies*, British International Studies Association.
3. Bharill Chandra, “Social and political ideas of B.R. Ambedkar” Aalekh Publishers, Jaipur, 1977.
4. Education Department, Government of Maharashtra, “Dr. BabasahebAmbedkar Writings and Speeches, Vol. 15, Year 1997, Mumbai.
5. Education Department, Government of Maharashtra, “Dr. BabasahebAmbedkar Writings and Speeches, Vol. 1, Year 1979, Mumbai.
6. Education Department, Government of Maharashtra, “Dr. BabasahebAmbedkar Writings and Speeches, Vol. 14, Year 1995, Mumbai.
7. Gaikwad, Vijay B (1999), Dr. Ambedka’s foreign policy and its relevance, VaibhavPrakashan, India.
8. Jena, Manas (2014), “Ambedkar’s Vision of Democracy in India Inspiring”, *daily pioneer*.
9. Kumar, Vivek (2004), “Ambedkar, The Nation-builder” The Pionee https://www.countercurrents.org/dalit-vivekkumar280404.htm
10. Koithara Varghese, “Society, state, and security the Indian Experience”, Sage Publication New Delhi, 1999.

11. Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation (2016), “Ambedkar's Contribution to Water Resources Development”, *Central Water Commission*, New Delhi
12. Madhok V. K., “Re-powering National Security”, Aditya Prakashana, Mumbai, 1998.
13. Naik, C D (2003), Thoughts and Philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, Sarup and Sons, New Delhi. http://www.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/ambedkars-vision-of-democracy-in-india-inspiring.html
14. Nath, Birbal: “Kashmir the Nuclear flash point”, Manas Publication, New Delhi, 1998.
15. Rajya Sabha Debates, 20th August 1954.
16. Rao Krishna K.V., “Peace and Democracy”, Department of information Jammu and Kashmir Government, 1996.
17. Rao Shiva, “The Framing of India’s Constitution: A Study”, The Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1968.
18. Subramanyam K., “Self-Reliant Defence and Indian Industry”, Strategic Analysis, Vol. XXIV, Issue No. 7, October 2000, pp. 1221-1234.
19. Sharma Rajeev, “Pak proxy war A story of ISI, Bin Laden and Kargil” Kaveri Books, New Delhi, 1999.